संख्या-7/688/चालीस-2014-बजट(04)/14

प्रेषक,

अरविन्द नारायण मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर, 2014

विषय - अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन पुरस्कार देने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन प्रदान करने सम्बन्धी नियमावली, 1976 के नियम-6 ''पुरस्कार की धनराशि'' को संशोधित करने सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या- 354/चालीस-2013-20(27)/2006, दिनांक 21 मार्च, 2013 में ''पुरस्कार की मात्रा, यदि नकद पुरस्कार के रूप में दिया जाय, केवल पचास हजार रूपया या उससे कम ऐसी धनराशि होगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जाय'' एवं उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 एवं उल्लिखित नियमावली के नियम-7(2) को संशोधित करने सम्बन्धी विज्ञप्ति संख्या-402/चालीस-10-20(27)/2006, दिनांक 30 मार्च, 2010 में दी गयी शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन हेतु लखनऊ मण्डल के लिए रूपया 2,50,000/- (रू0 दो लाख पचास हजार मात्र), मेरठ मण्डल के लिए रूपया 7,00,000/- (रू0 सात लाख मात्र), इलाहाबाद मण्डल को रूपया 1,50,000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र), बरेली मण्डल को रूपया 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) एवं कानपुर मण्डल को रूपया 12,80,000/- (रू0 बारह लाख अस्सी हजार मात्र) तथा समान रूप से प्रत्येक मण्डल को रूपया 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) अर्थात कुल रू0 44,80,000/- (रू0 चवालिस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को स्वीकृति करते हुए आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त धनराशि उ0प्र0 अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पत्ति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976 के नियम-5 के अधीन दी गयी शर्तो के अधीन स्वीकृत की जा रही है।

3- इस सम्बन्ध में अन्तर्जातीय विवाहित दम्पत्ति को दिए जाने वाली पुरस्कार की राशि पर व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 53 के अधीन लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-अन्तर्जातीय विवाह जिसमें दम्पत्ति का एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो, प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नकद पुरस्कार (के050 प्रतिशत + रा0 50 प्रतिशत)-20सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र डी0डी0ओ0 शीट की प्रमाणित छायाप्रति के साथ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द नारायण मिश्र)
सचिव।

संख्या-688(1)/चालीस-2014-बजट(4)/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट एवं प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन-15, नार्थ हिल रोड, इलाहाबाद।
(5) समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
(7) गार्ड बुक/बजट सहायक।

आज्ञा से,

(राम लखन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in